राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, झुन्झुनू

क्रमांकः प 12(3)( )राज/भू.रू./2023/

दिनांकः जनवरी, 2023

संशोधित संपरिवर्तन आदेश

आवेदक श्री भौमसिंह मेमोरियल चेरीटेबल ट्रस्ट, जयपुर जरिये अध्यक्ष श्री अशोक चौधरी पुत्र स्व. श्री भौमसिंह चौधरी, निवासी बी–193, मोती मार्ग, बापू नगर जयपुर को ग्राम घोड़िवारा कलां ग्राम पंचायत माण्ड्सी तहसील नवलगढ स्थित भूमि खसरा नं. 488 रकबा 8.33 हैक्टेयर में से 3.30 हैक्टेयर भूमि का वेटरनेरी कॉलेज प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन इस कार्यालय के पत्रांक 2682–88 दिनांक 07.06.2008 द्वारा जारी किया गया। आवेदक द्वारा उक्त आदेश को वेटरनेरी कॉलेज के स्थान पर शैक्षणिक प्रयोजनार्थ संशोधन करवाने हेतु आवेदन किया है। अतः आवेदक की खातेदारी अभिधृति में धारित अकृषि भूमि(वेटरनरी कॉलेज) का राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 10 के अधीन शैक्षणिक प्रयोजनार्थ संशोधित आदेश जारी किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं:–

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता/पति के नाम सहित तथा पूरा पता	श्री भौमसिंह मेमोरियल चेरीटेबल ट्रस्ट, जयपुर जरिये अध्यक्ष श्री अशोक चौधरी पुत्र स्व. श्री भौमसिंह चौधरी, निवासी बी–193, मोती मार्ग, बापू नगर जयपुर
2.	आवेदक का आधार नम्बर	—
3.	आवेदक का भामाशाह नम्बर	—
4.	आवेदक की ई–मेल आईडी (यदि कोई हो)	—
5.	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनूसूचित जन जाति का सदस्य है	नहीं
6.	मूल संपरिवर्तन का उद्येश्य तथा आदेश क्रमांक व दिनांक	वेटरनेरी कॉलेज प्रयोजनार्थ, जिला कलक्टर कार्यालय के आदेश कमांक 2682–88 दिनांक 07.06.2008
7.	संशोधित संपरिवर्तन का प्रयोजन	**शैक्षणिक प्रयोजनार्थ**
8.	संपरिवर्तित भूमि का ब्यौराः (क) जिला/तहसील/गांव का नाम (ख) वेटरनरी कॉलेज प्रयोजनार्थ जारी संपरिवर्तन आदेश में भूमि का खसरा संख्या और खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (ग) वेटरनरी कॉलेज प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित खसरा संख्या का क्षेत्रफल उपदर्शित करते हुये संपरिवर्तन क्षेत्रफल (हैक्टेयर या वर्गमीटर में)	 जिला झुन्झुनू, तहसील नवलगढ, गांव घोडिवारा कलां ख.नं. 488 रकबा 8.33 हैक्टे. किस्म बारानी प्रथम में से 3.30 हैक्टेयर 3.30 हैक्टेयर (33000 वर्ग मीटर) भूमि (परिवर्तित खसरा नम्बर 671/488 किस्म अकृषि संस्थागत)
	टिप्पणी :– अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि को दर्शाते हुये राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक् रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।	
9.	मूल संपरिवर्तन की देय प्रीमियम दर	20/– रूपये प्रति वर्गमीटर
10.	मूल संपरिवर्तन पर जमा प्रीमियम राशि	660000/– रूपये
11.	संशोधित संपरिवर्तन हेतु देय प्रीमियम दर	शून्य
12.	संशोधित संपरिवर्तन हेतु देय प्रीमियम राशि	शून्य
13.	जमा की जाने वाली अन्तर प्रीमियम राशि (12–10)	शून्य
14.	पूर्व आदेश के संदर्भ में चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमीयम की रकम	चालान संख्या 133 दिनांक 18.10.2007 राशि **660000/–**रूपये
15.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम	शून्य
16.	चलान की संख्या तथा तारीख सहित व्याज यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम	शून्य

17.	क्या आदेश नियमितिकरण के अधीन जारी किया गया है	नहीं
18.	अन्य कोई विशिष्ठियां यदि कोई हो	नहीं
19.	उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा:– (1) इण्डियन रोड़ कांग्रेस के मापदण्डों के अनुसार सड़क मार्गाधिकार हेतु छोड़ने के पश्चात् ही निर्माण किया जावे तथा आवेदक द्वारा आवेदित भूमि तक निर्धारित प्रतिमानों के अनुरूप विधिवत पहुंच मार्ग सुनिश्चित किया जावे। Solid Waste Management Rules-2016 की पालना सुनिश्चित की जावे। (2) निकटस्थ नगरपालिका/स्थानीय निकाय की उपविधियों की पालना करनी होगी एवं निर्धारित माप दण्डों के अनुसार निर्माण कराया जावेगा। (3) राजस्व विभाग के परिपत्र प.6(6)राज–6/92 पार्ट दिनांक 17.7.2007 तथा अग्नि शमन हेतु नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 24.10.07 के निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे व स्थानीय प्रशासन से उक्त परिपत्र के अनुसार नक्शा अनुमोदित कराकर ही निर्माण कार्य कराया जावेगा तथा अग्निशमन सम्बन्धी सुरक्षा मानदण्डों की पूर्ण पालना की जावेगी। (4) कुल भूमि का 40 प्रतिशत भू–भाग सार्वजनिक सुविधाओं के लिए आरक्षित रखना होगा। प्रस्तावित स्थल से पानी के निकास एवं वर्षा जल संग्रहण हेतु संरचना का निर्माण किया जावेगा। (5) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया प्रीमियम धन समपहृत हो जायेगा। (6) राजस्व विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेश/परिपत्र एवं दिशा–निर्देशों की पालना के लिये आवेदक बाध्य होगा। (7) उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। (8) नियम–4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा। **(9)इस आदेश का पंजीयन करवाने के पश्चात् ही नामान्तरकरण तस्दीक किया जावे।** (10) ऑडिट द्वारा कोई वसूली निकाली जावेगी तो उस वसूली को राजकोष में जमा करवाने के लिये आवेदक बाध्य होगा। (11) उपरोक्त शर्तों की पालना करने का दायित्व आवेदक का होगा। शर्तों का उल्लघंन होने पर आदेश निरस्त कर दिया जावेगा। **(12) पूर्व में जारी संपरिवर्तन आदेश कमांक 2682–88 दिनांक 07.06.2008 में बिन्दू संख्या 04 संपरिवर्तन प्रयोजन वेटरनेरी कॉलेज को निरस्त किया जाकर आवेदक के प्रार्थना–पत्र के अनुसार संपरिवर्तन का प्रयोजन शैक्षणिक किया जाता है।**	

—11—
(लक्ष्मण सिंह कुड़ी)
जिला कलक्टर झुन्झुनू

क्रमांकः प 12(3)( )राज/भू.रू./2023/ 04-09
दिनांकः 03 जनवरी, 2023

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखा शाखा, कलेक्ट्रेट झुन्झुनू।
2. उप खण्ड अधिकारी नवलगढ।
3. तहसीलदार/उप पंजीयक उदयपुरवाटी/नवलगढ।
4. सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नवलगढ
5. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत माण्डसी पं. स. नवलगढ जिला झुन्झुनू।
6. श्री भौमसिंह मेमोरियल चेरीटेबल ट्रस्ट, जयपुर जरिये अध्यक्ष श्री अशोक चौधरी पुत्र स्व. श्री भौमसिंह चौधरी, निवासी बी–193, मोती मार्ग, बापू नगर जयपुर।
7. गार्ड फाईल

3.1.2023
(जगदीश प्रसाद गौड़)
अति.जिला कलक्टर झुन्झुनू